न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1122– PBR / 14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–1–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–1–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रकरण में नक्शे की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें सर्वे नम्बर 124 अंकित है । सर्वे नम्बर 124 / 1 की पृथक से तरमीम नक्शे में किया जाना नहीं पाया जाता है । इसके अतिरिक्त पटवारी द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मौके पर सीमांकन हेतु सर्वे निशानात नहीं पाये गये हैं, अतः सीमांकन किया जाना संभव नहीं है । उपरोक्त बिन्दुओं पर बिना विचार किए तहसीलदार द्वारा सीमांकन आदेश दिये गये हैं । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार का प्रकरण कमांक 7 / 2007–08 अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सीमांकन के साथ प्रस्तुत नक्शे में सर्वे कमांक 124 / 1 पृथक से अंकित है, और अनावेदक द्वारा भी पृथक से सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा प्रकरण कमांक 61 / अ–12 वर्ष 2007–08 दर्ज किया जाकर दिनांक 23–11–2009 को आदेश पारित कर पुनः सुनवाई के आदेश दिये गये हैं । अतः अपर आयुक्त द्वारा दोनों प्रकरण को एकसाथ संलग्न कर सीमांकन कराये जाने के निर्देश देने में भी पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	

तथा उनके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम रिछेडा तह. पिपरिया

22- PBR/14

दिनांक 4-4-14 को श्री दिलीप कुमार पासी अधि० द्वारा प्रस्तुत।

दिलीप कुमार पासी (एड.) ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, कैंप भोपाल.

रघुनंदन प्रसाद दुबे आ. स्व. श्री पन्नालाल दुबे काश्तकार

आयु करीब 68 वर्ष, निवासी ग्राम रिछेडा तह. पिपरिया

जिला होशंगाबाद -----याचिकाकर्ता.

बनाम

जगदीश प्रसाद दुबे आ. स्व. श्री पन्नालाल दुबे काश्तकार

निवासी तहसील कालोनी राजपूत भवन के पास,

इंद्रा गांधी वार्ड पचमढ़ी रोड़ पिपरिया तह.

पिपरिया जिला होशंगाबाद ----उत्तरवादी.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

उपरोक्त निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर होशंगाबाद के प्र. क्र. 12/अ-12 वर्ष 05-06 में पारित आदेश दिनांक 11.8.06 से एवं अपर आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा प्र.क्र. 4/निग. वर्ष 2006-07 में पारित आदेश दिनांक-30.1.14 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है:-